RTI के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को लाने का मतलब

लेखक - श्यामलाल यादव (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

14 नवंबर, 2019

"यह मामला 2010 में सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा जब सुप्रीम कोर्ट के महासचिव ने दिल्ली हाईकोर्ट के जनवरी 2010 में आए फैसले को चुनौती दी थी। इस आलेख में हम इस मुद्दे से संबंधित सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे।"

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का कार्यालय सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पाँच जजों वाली संविधान पीठ जिसमें जस्टिस एनवी रमन्ना, डी वाई चंद्रचूड़, दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना शामिल थे, दिल्ली हाई कोर्ट के 2010 के निर्णय को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ हाई कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल और शीर्ष अदालत के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (CPIO) की अपील खारिज़ कर दी।

कोर्ट के सामने मुद्दा

दिल्ली की आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल द्वारा दायर की गई सूचनाओं के अनुरोधों के आधार पर यह निर्णय तीन मामलों से संबद्ध था, जिनमें से सभी अंततः उच्चतम न्यायालय में पहुँच गए। इनमें से एक में अग्रवाल ने पूछा था कि क्या सभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने 1997 में पारित एक प्रस्ताव के बाद CJI को अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा की थी। हालाँकि, उन्होंने घोषणाओं की प्रतियों के लिए अनुरोध नहीं किया था।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के CPIO ने कहा कि CJI का कार्यालय RTI अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, जिसके बाद यह मामला मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) के पास पहुँचा, जहाँ 6 जनवरी, 2009 को तत्कालीन सीआईसी वजाहत हबीबुल्लाह की अध्यक्षता वाली एक पूर्ण पीठ ने सूचना को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट CIC के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के पास परामर्श लेने पहुँचा। इसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट (जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उच्च पद पर आसीन थे) 2 सितंबर, 2009 को फैसला दिया कि 'भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआई अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और इसके प्रावधानों के अंतर्गत है।' उच्चतम न्यायालय इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह, न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति एस मुरलीधर की एक बड़ी खंडपीठ के पास पहुँचा, जिसने 13 जनवरी, 2010 को अपना फैसला सुनाया कि न्यायमूर्ति भट्ट का निर्णय 'उचित और वैध दोनों था और इसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।'

SC के बारे में SC को SC की याचिका

2010 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की। मामले को एक डिवीज़न बेंच के समक्ष रखा गया था, जिसने फैसला दिया कि इसे एक संवैधानिक पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए। संवैधानिक पीठ का गठन लंबित रहने के कारण अग्रवाल ने एक और आरटीआई आवेदन दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून, 2011 को उनसे कहा कि खंडपीठ के गठन के आदेशों का इंतज़ार है। संविधान पीठ मुख्य न्यायाधीशों के.जी. बालकृष्णन, एस. एच. कपाड़िया, अल्तमस कबीर, पी. सदाशिवम, आर. एम. लोढ़ा, एच. एल. दत्तू, टी. एस. ठाकुर, जे. एस. खेहर और दीपक मिश्रा के कार्यकाल के दौरान लंबित रही। CJI गोगोई ने पिछले साल बेंच का गठन किया था, जिसने इस साल 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रखा और बुधवार को इसका फैसला सुनाया।

यह फैसला करते हुए कि CJI का कार्यालय एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि RTI को निगरानी के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और पारदर्शिता के साथ व्यवहार करते समय न्यायिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विदित हो कि CJI गोगोई, जस्टिस गुप्ता और जस्टिस खन्ना ने एक समान फैसला लिखा तथा जस्टिस रमन्ना और चंद्रचूड़ ने अलग-अलग फैसले लिखे।

न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि निजता का अधिकार एक महत्त्वपूर्ण पहलू है और भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय से जानकारी देने का निर्णय लेते समय पारदर्शिता के साथ यह संतुलित होना चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपने अलग फैसले में लिखा कि न्यायतंत्र संपूर्ण रोधन में काम नहीं कर सकती क्योंकि न्यायाधीश एक संवैधानिक पद का आनंद लेते हैं और सार्वजनिक कर्त्तव्य का निर्वहन करते हैं।

यह फैसला पारदर्शिता और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के बीच सर्वोच्च न्यायालय के संतुलन की ज़रूरत को रेखांकित करता है।

दो अन्य मामले

अग्रवाल द्वारा दायर अन्य दो आरटीआई में से एक में सर्वोच्च न्यायालय से "न्यायमूर्ति एचएल दत्तू, ए.के. गांगुली और आर.एम. लोढ़ा की नियुक्ति में न्यायमूर्ति पी शाह की वरिष्ठता का उल्लंघन करने से संबंधित फाइल नोटिंग के साथ संबंधित संवैधानिक प्राधिकारियों की माँग की थी।" दूसरा अनुरोध मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर. रघुपति द्वारा 'केंद्रीय अदालत में माननीय न्यायाधीश के समक्ष लंबित कुछ मामले में उनसे संपर्क करने' के बारे में 'रहस्योद्घाटन' से संबंधित दस्तावेजों से जुड़ा था। हालाँकि, इन दो मुद्दों को सर्वोच्च न्यायालय ने नकार दिया और सर्वोच्च न्यायालय जिस मामले को संबोधित करना चाहता था वह सवाल था कि CJI का कार्यालय RTI अधिनियम के तहत है या नहीं।

इस फैसले का क्या मतलब है?

इस फैसले का परिणाम यह है कि अब CJI का कार्यालय RTI अनुप्रयोगों के अंतर्गत आएगा। आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत, सूचना का अर्थ है किसी भी रूप में कोई भी सामग्री, जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात शामिल हैं, नमूने, मॉडल, डेटा सामग्री किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई है और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी जिसे किसी भी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा सकता है।"

हालाँकि, एक सार्वजनिक प्राधिकरण माँगी गई जानकारी का खुलासा करता है या नहीं, यह एक अलग मामला है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे कार्यालय भी आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण हैं। लेकिन सार्वजनिक प्राधिकरणों ने अक्सर 2011 में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अलग-अलग टिप्पणियों का हवाला देते हुए जानकारी देने से इंकार किया है: जिसमें कहा गया है कि "अधिकारियों को केवल ऐसी सूचनाओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जो पहले से मौजूद हैं और सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाती हैं और जानकारी को नहीं मिलाती हैं या नहीं बनाती हैं"; और, 'राष्ट्र एक ऐसा परिदृश्य नहीं चाहते जहाँ 75% सार्वजनिक प्राधिकरणों के कर्मचारी अपने नियमित कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के बजाय आवेदकों को जानकारी एकत्र करने और प्रस्तुत करने में अपना 75% समय व्यतीत करें।[8]

16 दिसंबर, 2015 को आरबीआई बनाम जयंतीलाल एन. मिस्त्री और अन्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "लंबे समय से ऐसी सूचनाएँ हमें प्राप्त हो रही थी कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 के तहत दिए गए अपवादों की आड़ में सार्वजनिक सूचना अधिकारी आम जनता को उनके हक की जानकारी प्राप्त करने से रोकते है, जिसके वे हकदार हैं।"

CBI अभी भी RTI से बाहर है

अब हम जानते हैं कि CJI का कार्यालय RTI के दायरे में है, लेकिन अभी भी CBI को इससे छूट मिली हुई है। जब यूपीए सरकार ने 12 अक्टूबर, 2005 को आरटीआई कानून लाया तो सीबीआई उसके अधीन थी। लेकिन इस एजेंसी को बाद में छूट मिल गई और इस फाइल का समर्थन खुद यूपीए सरकार के कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने किया था। संयोग से, मोइली की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग ने पहले आरटीआई कानून से सशस्त्र बलों को छूट देने की सिफारिश की थी, लेकिन सीबीआई के लिए ऐसी कोई सिफारिश नहीं की थी।

हालाँकि, CBI ने केवल इंटेलिजेंस सभा के इकाइयों के लिए छूट की माँग की थी और 2011 में एजेंसी को पूरी छूट दी गई।

सीबीआई, जो एक एजेंसी है जो अक्सर भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच में लगी हुई होती है, आज छूट प्राप्त संगठनों, जिसमें अधिकांश अन्य खुफिया जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं, की एक सूची में शामिल है। सीबीआई को छूट देने के फैसले को चुनौती देने वाली मुकदमेबाजी सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है; हालाँकि, सुनवाई की अगली तारीख तय नहीं की गई है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट का प्रयोग कर असत्य कथन की पहचान कीजिए:-

1. आर.टी.आई. अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना अधिकारी आम जनता को कुछ जानकारियों को देने से मना करते हैं।
2. सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत् एक सार्वजनिक प्राधिकरण है।

कूट:-

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements and choose the incorrect statement using the code given below:-

1. Under Section 9 of the RTI Act, Public Information Officers refuse to give certain information to the general public.
2. According to a decision of the Supreme Court, the office of the Chief Justice of India is a public authority under the Right to Information (RTI) Act.

Code:-

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) None of these

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: सूचना का अधिकार के दायरे में मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के आने के क्या निहितार्थ हो सकते हैं? क्या यह कदम न्यायपालिका में लंबित कुछ पुराने सुधारों के लिए प्रेरक हो सकता है? चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

What are the implications of the Chief Justice's office coming under the purview of Right to Information? Could this step be the impetus for some of the past reforms pending in the judiciary? Discuss

(250 words)

नोट : 13 नवम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (a) होगा।